[redacted]

न्यायालय समक्ष माननीय राजस्व मण्डल ग्वालियर ﴾ म0प्र0 ﴿

==

निगरानी क्र0- निगरानी 469-I-15 सन्-2015 (34)

बिन्द्रावन अहीर तनय गुटिया अहीर

निवासी ग्राम महिलवार तह0 राजनगर

जिला छतरपुर म0प्र0 .. .. निगरानीकर्ता

बनाम

शासन म0प्र0 .. .. अनावेदक

यह निगरानी न्यायालय अपर कलेक्टर जिला छतरपुर द्वारा प्र0क्र0-42/स्वमेव निगरानी/अ-19﴾4﴿/05-06 म0प्र0 शासन बनाम बिन्द्रावन अहीर तनय गुटिया अहीर निवासी ग्राम महिलवार तह0 राजनगर जिला छतरपुर में पारित आदेश दिनांक-07.02.15 से असंतुष्ट होकर संहिता की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है ।

श्री .... द्वारा आज दि. 3.3.15 को प्रस्तुत
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

03/03/15

==================================

मान्यवर,

निगरानीकर्ता सादर निम्नलिखित निगरानी प्रस्तुत करता है :-

1- यह कि प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि न्यायालय अपर कलेक्टर जिला छतरपुर ﴾ जिन्हे आगे अधीनस्थ न्यायालय कहा जावेगा ﴿ द्वारा तहसीलदार राजनगर द्वारा प्र0क्र0- 25/अ-19﴾4﴿/2000-01 में पारित आदेश दिनांक- 10.07.01 को स्वप्रेरणा निगरानी में लेकर प्र0क्र0-42/ स्वमेव निगरानी/ अ-19﴾4﴿/05-06 दर्ज कर दिनांक-22.07.14 को निगरानीकर्ता को कारण बताओ नोटिस जारी किया, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारीउक्त नोटिस प्राप्त होने पर निगरानीकर्ता

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 469 –एक / 15 जिला – छतरपुर

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेष	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
2.3.2016	आवेदक के अधिवक्ता श्री अजय श्रीवास्तव एवं श्री डी0के0 पासी उपस्थित होकर धारा 32 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि पक्षकार विन्द्रावन विरूद्ध शासन प्रकरण कमांक 469–एक / 15 के स्थान पर 468–दो / 15 हो गया है । अतः प्र0क0 468–दो / 15 के स्थान पर निग0 प्र0क0 469 –एक / 15 पढ़ा जावे। अतः आवेदक अधिवक्ता का आवेदन स्वीकार किया जाता है तथा निगरानी प्रकरण कमांक 468–दो / 15 के स्थान पर निग0 प्र0क0 469–एक / 15 पढ़ा जावे। यह आदेश पत्रिका आदेश दिनांक 17.2.16 का मूल अंग माना जायेगा। सदस्य	